



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



**क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार/Regional Office, Bihar**  
पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001  
Panchdeep Bhawan, Nehru Marg, Patna - 01  
✉ rd-bihar@esic.gov.in ✉ EsicPatna ☎ 0612-2521928  
🌐 www.esic.gov.in/robihar.esic.gov.in 📘 Esicpatna

सं. 42-A/36/11/2/2023-Estt.III

दिनांक: 07-11-2025

### **कार्यालय आदेश सं. / Office Order No. - 203 वर्ष 2025**

मुख्यालय पत्रांक A-12023/5/2022-Exam दिनांक 14.10.2025 के अनुपालन में, दिनांक 05.07.2025 को आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण निम्नलिखित कर्मचारियों को उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स, वेतन स्तर-4 (रु. 25,500/- से रु. 81,100/-) में नियमित आधार पर प्रवर श्रेणी लिपिक/प्रवर श्रेणी लिपिक रोकड़िया के पद पर पदोन्नति प्रदान करने का आदेश दिए जाते हैं:-

In pursuance of Headquarters letter no. A- 12023/5/2022-Exam dated 14.10.2025, the following employees are hereby ordered for promotion to the post of Upper Division Clerk/ UDC Cashier on a regular basis in Pay Matrix, Pay Level-4 (Rs. 25,500-81,100/-) as per 7th Central Pay Commission against the available vacancies, who have qualified in the Limited Departmental Competitive Examination held on 05.07.2025:-

रिक्ति वर्ष 2019, 2020, 2021, 2022 एवं 2023 के लिए (For the vacancy year 2019, 2020, 2021, 2022 & 2023):- NIL

रिक्ति वर्ष 2024 के लिए (For the vacancy year 2024):-

| क्र.सं.<br>(क्रमवार) | (मेधा) कर्मचारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री),<br>पदनाम | कर्मचारी<br>सं. | श्रेणी      | चयन<br>श्रेणी | परिणाम   |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------|
| 1                    | Amar Kant Kumar, LDC                                       | 105134          | OBC         | UR            | उत्तीर्ण |
| 2                    | Mukesh Kumar, LDC                                          | 105111          | OBC-<br>PWD | UR            | उत्तीर्ण |

रिक्ति वर्ष 2025 के लिए (For the vacancy year 2025):- NIL

1. यह आदेश मुख्यालय पत्रांक A-33015/5/2023.E-II दिनांक 31.10.2025 के अनुपालन में दिनांक 07.11.2025 से प्रभावी होगा।

This order will be effective from 07.11.2025 in compliance with Headquarters letter no. A-33015/5/2023.E-II dated 31.10.2025.

2. उपरोक्त कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति दिनांक 07.11.2025 अथवा कार्यग्रहण की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगी, बशर्त कि वे पदोन्नति स्वीकार करें।

The regular promotion of the above employees will be effective from 07.11.2025 or the date of joining, whichever is later, provided they accept the promotion.

3. उपरोक्त कर्मचारियों को उनके वर्तमान तैनाती-स्थल पर ही पदोन्नत किया जा रहा है तथा प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार उनके स्थानांतरण/तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। उपर्युक्त कर्मचारी पदोन्नत पद पर अगले आदेश तक अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर कार्यरत रहेंगे।

The above employees are promoted at their present place of posting for the time being only and their transfer/posting order will be issued separately as per the administrative requirement. The promotee shall continue at his present place of posting till further orders.

4. उपर्युक्त कर्मचारियों की प्रोन्नति कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारीवृन्द एवं सेवा की शर्तें) विनियम , 2023 जो समय-समय पर संशोधित होते रहें हैं के अधीन इस संवर्ग में लागू होने वाली सेवा शर्तों के तहत होगी।  
Promotion of the above employee will be subject to the service conditions applicable to the cadre under the Employees' State Insurance Corporation (Staff and Conditions of Service) Regulations, 2023 as amended from time to time.

5. उपर्युक्त कर्मचारी के द्वारा FR-22(1)a(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का प्रयोग आदेश निर्गत तिथि से एक माह के अंदर किया जा सकता है। एक माह के पश्चात वेतन निर्धारण हेतु प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व में प्रोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण की स्थिति में पुनः वेतन निर्धारण नहीं होगा।  
The option for pay fixation under FR-22(1)a(1) can be exercised by the above employee within one month from the date of issue of the order. No application for pay fixation received after one month will be considered. In the event of pay fixation in the earlier promoted pay scale, there will be no re-fixation.

6. नियमित प्रोन्नत पद पर योगदान की स्वीकृति/अस्वीकृति 7 दिनों के अंदर प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को भेजी जाए।  
Acceptance/rejection to regular promoted post should be sent to the Administration Branch, Regional Office, Patna within 7 days.

सेवा में,

संबंधित कर्मचारी / The Concerned employee

क्षेत्रीय निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. संयुक्त निदेशक (भर्ती शाखा), मुख्यालय, क. रा. बी. निगम, पंचदीप भवन, सी. आई. जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110002
2. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल, बिहटा, पटना ।
3. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना ।
4. क्षेत्रीय निदेशक के निजी सचिव ।
5. सभी शाखाधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, पटना ।
6. सभी शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय/DCBO, बिहार क्षेत्र ।
7. शाखा अधिकारी (ई.डी.पी. शाखा) को बिहार क्षेत्र की क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
8. महासचिव, एसिक स्टाफ यूनियन, क.रा.बी. निगम, पटना ।
9. व्यक्तिगत संचिका/गार्ड फाइल/सूचना पट्ट ।